प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 31.07.2026

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा घर से मोबाइल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद।

दिनांक 27.07.2026 को वादी शिल्पा निवासी पैरामाउन्ट सिम्फेनी सोसायटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तहरीर दी कि दिनांक 26.07.2026 को उनके घर पर पूजा नाम की महिला मेड काम करने के लिए आयी तथा उसके काम करके चले जाने के बाद हमारा फोन नही मिल रहा है। हमे पूरा विश्वास है कि उसी पूजा नाम की महिला द्वारा हमारे फोन को चोरी किया है। इस सूचना पर तत्काल धारा 305 बी.एन.एस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमो का गठन करते हुए घटना स्थल के आस पास सीसीटीवी कैमरो को चैक करते हुए घटना का खुलासा किया गया।

आज दिनांक 31.07.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाली अभियुक्ता पूजा पत्नी अरविन्द निवासी गली नं0 07 बागू थाना क्रॉसिग रिपब्लिक गाजियाबाद व मूल पता गांव पोन्डरी थाना कोतवाली देहात जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 34 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर शान्तिनगर से चित्रावन सोसायटी जाने वाले रास्ते पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित चोरी का मोबाइल फोन बरामद। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध मे अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि करते हुए अभियुक्ता के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं जिला बुलंदशहर की रहने वाली हूं तथा दिनांक 26.07.2026 को शिल्पा मैडम के घर पर घरेलू काम के लिए गयी थी। वहां पर मुझे एक फोन रखा दिखायी दिया जिसको मैंने मौका देखकर चोरी कर लिया, मुझे लालच आ गया था कि इस फोन को बेच कर मैं अच्छे पैसे कमा लूंगी पर उससे पहले पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

पूजा पत्नी अरविन्द निवासी गली नं0 07 बागू थाना क्रॉसिग रिपब्लिक गाजियाबाद व मूल पता गांव पोन्डरी थाना कोतवाली देहात जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

एक चोरी का मोबाइल फोन एप्पल कम्पनी का

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्ता के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस, मैनुअल इन्पुट व मुखबिर की मदद से हत्या की घटना का अनावरण करते हुये घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद।

दिनांक 30.07.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त पवन कुमार पुत्र नन्द किशोर सिंह निवासी ग्राम दोस्तपुर थाना साहेबगंज जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) द्वारा वादी की मां सुशीला देवी के साथ पूजा कॉलोनी स्थित किराये के मकान में रहने के दौरान उनकी हत्या कर देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा-103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा सीसीटीवी कैमरों व मैनुअल इनपुट की सूचना के आधार पर घटना के अनावरण हेतु लगातार प्रयास किये गये।

तत्पश्चात आज दिनांक 31/07/2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस, मैनुअल इन्पुट व मुखबिर की मदद से हत्या की घटना का अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले अभियुक्त पवन कुमार पुत्र नन्द किशोर सिंह मूल निवासी ग्राम दोस्तपुर थाना साहेबगंज जिला मुजफ्फरपुर(बिहार) हाल किरायेदार पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद हुआ है जिसमें मृतिका सुशीला देवी की हत्या के उपरांत ली गयी फोटो है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मृतिका सुशीला मेरे गाँव के पास की रहने वाली थी। मेरी पत्नी की मृत्यु हो गयी है जिस कारण मेरी उसके साथ बातचीत होने लगी। वह रोजी रोटी कमाने के लिए मुझे तथा अपनी छोटी बेटी को लेकर गाजियाबाद आ गयी। करीब 10 दिन पहले हम दोनों ने पूजा कॉलोनी में मकान किराये पर लिया तथा साथ -साथ रहने लगे। मेरी दो बेटियां उम्र करीब 07 वर्ष व उम्र करीब 05 वर्ष है। मैंने अपनी दोनो बेटियों को अपनी बहन के पास बिहार में छोड़ रखा है। मैं जब भी अपनी बेटियों से बात करता था तो वह दोनों मेरे साथ रहने की जिद करती थी। मैं अपनी दोनों बेटियों को अपने पास रखना चाहता था परन्तु सुशीला मुझे मना कर देती थी। सुशीला फोन पर दूसरे लोगों से बात करती थी तो मुझे काफी बुरा लगता था। इन सब बातों को लेकर हम दोनों में अक्सर लडाई झगड़ा होता रहता था। दिनांक 24.07.2026 की रात करीब 9-10 बजे मैं व सुशीला कमरे में सो रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, मैंने सुशीला से कहा कि मेरी बेटिया मेरे साथ रहने की जिद करती है अगर तुम कहो तो मैं उनको यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ तथा हम सभी लोग साथ साथ रहेगे। इस बात को लेकर सुशीला मेरे साथ लडाई झगड़ा करने लगी। मैंने सुशीला को काफी समझाने का प्रयास किया परन्तु वह नहीं मानी। मैंने गुस्से में आकर सुशीला का गला दबा दिया जिससे उसकी सांस बंद हो गयी। उसके बाद मैंने अपने मोबाइल से मृतिका सुशीला की फोटो खीची ताकि बाद में देखता रहूँ। सुशीला के मरने के बाद

मैं घबरा गया था और रात में जब बाहर गली में लोगों का आना जाना बंद हो गया। मैं छत से उतरकर कमरे की बाहर से कुन्दी बन्द करके मैन गेट का ताला लगाकर भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पवन कुमार पुत्र नन्द किशोर सिंह मूल निवासी ग्राम दोस्तपुर थाना साहेबगंज जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) हाल किरायेदार पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

मोबाइल फोन बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.07.2026 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त फैजान उर्फ बहरा द्वारा वादी की पत्नी रिजवाना की गला घोटकर हत्या कर देना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 30.07.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अभियुक्त फैजान उर्फ बहरा पुत्र फय्याज निवासी जैन कॉलोनी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने परिवार सहित पहले वादी के परिवार के साथ ही लोनी में एक ही मकान में किराये पर रहते थे, उसी दौरान मेरी वादी की पत्नी से करीब 7-8 महीने से जान-पहचान व बातचीत हो गई थी। इस बात की खबर वादी के बच्चों व वादी को हो गयी थी इसलिये मैं अपना कमरा खाली करके अशोक विहार में रहने लगा था। कुछ दिन बाद उसने मुझसे बातचीत करना बन्द कर दिया था। इसी बात को लेकर मैंने गुस्से में आकर दिनांक 26.07.2026 को उसके घर जाकर गले में प्लास्टिक की सूतली का फन्दा गले में डालकर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

फैजान उर्फ बहरा पुत्र फय्याज निवासी जैन कॉलोनी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.07.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देना, हमलावर द्वारा तमंचा से आकाशीय फायर करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा-352/351(3)/131/125 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 30.07.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दिनेश त्यागी पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम तलहैटा थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 53 वर्ष को थाना क्षेत्र भोजपुर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरा मेरे सगे भाई मुकेश कुमार त्यागी से रास्ते के निकास को लेकर गाली-गलौज हो गयी थी। उसी समय मैंने इसी तमंचे से आकाशीय फायर कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दिनेश त्यागी पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम तलहैटा थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 53 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस/सर्विलांस टीम ग्रामीण जोन द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इनपुट के आधार पर दिनांक 26.07.2026 को हुई मर्डर की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में संलिप्त प्रकाश में आये अभियुक्त मृतक के भाई को किया गिरफ्तार।

दिनांक 26.07.2026 को सुबह चौकीदार PWD अधिशासी अभियन्ता कार्यालय आध्यात्मिक नगर मसूरी कमि0 गाजियाबाद से सूचना मिली कि सड़क के किनारे PWD कार्यालय के पास झाड़ियों में एक अज्ञात

व्यक्ति खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा है, इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम घटना स्थल के पास पहुंचे, फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया। निरीक्षण के दौरान पाया कि एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 42 वर्ष खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा है, चेहरे पर चोट के निशान व खून लगा है और मृतक के सीने पर एक भारी सीमेन्टेड पत्थर रखा है जिस पर खून लगा है। देखने से प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो रहा है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतक की पत्थर से गम्भीर चोटें पहुंचाकर हत्या कर शव को छुपाने के उद्देश्य से झाड़ियों में डाला गया है। पुलिस द्वारा मृतक अज्ञात की शिनाख्त हेतु काफी सार्थक प्रयास किये गये परन्तु कोई जानकारी प्राप्त न होने पर वादी चौकी प्रभारी गार्डन एन्कलेव थाना मसूरी की तहरीर पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। मृतक अज्ञात पुरुष की शिनाख्त हेतु तथा घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना मसूरी पुलिस टीम/सर्विलांस टीम ग्रामीण जोन द्वारा सीसीटीवी फुटेज, गश्ती तलाश फोटो पम्पलेट आदि से मृतक अज्ञात पुरुष उम्र 42 वर्ष की मोनू सिंह पुत्र रामपाल निवासी ग्राम जन्डेल थाना मूढा पाण्डे जनपद मुरादाबाद के रूप में दिनांक 30.07.2026 को पहचान हुई, तत्पश्चात उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाला मृतक मोनू सिंह का सगा भाई सुखवीर का नाम प्रकाश में आया। प्रकाश में आये अभियुक्त सुखवीर पुत्र रामपाल उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम जन्डेल थाना मूढा पाण्डे जनपद मुरादाबाद को मुखबिर कि सूचना पर थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, घटना में प्रयुक्त 02 सीमेन्टेड पत्थर जिससे अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या की गई थी जिस पर रक्त लगा था, घटना स्थल से बरामद किया गया था। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त सुखवीर उपरोक्त ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुये बताया कि घर में हम 07 भाई-बहन है, सभी की शादी हो चुकी है। मैं अनपढ़ हूं, बेलदारी का काम करता हूं। मेरा भाई मृतक मोनू सिंह घर में दूसरे नम्बर का था। मैं घर में 5 वे नम्बर का हूं, हमारे पास 02 बीघा खेती की जमीन है। मैं और मेरा भाई मृतक मोनू बेलदारी का काम करते थे। हम दोनों ने मिलकर सोनालिका ट्रैक्टर(750) फरवरी 2026 में दो लाख रुपये जमा करके 5 लाख 20 हजार रुपये का लोन कराकर अपने भाई मृतक मोनू सिंह के नाम से निकाला था कि दोनों भाई ट्रैक्टर पर मेहनत मजदूरी करके पैसा कमायेगे, कुछ दिन ठीक-ठाक चला और कमाई होने लगी तो मेरे मन में अपने भाई मृतक मोनू के प्रति बदनियति आने लगी, मैं ट्रैक्टर को अपने नाम करना चाहता था। लेकिन मेरा भाई मोनू मुझे ट्रैक्टर देना नहीं चाहता था। इस सम्बंध में परिवार व रिश्तेदारों के बीच पंचायत भी हुई थी परन्तु मेरा भाई मोनू नहीं माना था और मुझे ट्रैक्टर नहीं दे रहा था और गुस्से में बमेटा गाजियाबाद चला गया था। मैंने मन ही मन में अपने भाई मोनू को रास्ते से हटाने तथा उसकी हत्या करने की योजना बनाई और मैं दिनांक 25.07.2026 को अपने भाई मोनू के साथ गाजियाबाद गया, हम दोनों ने शराब पी, मैंने मोनू को अधिक शराब पिलाई और अपने भाई का हाथ पकड़कर घर चलने को कहकर ले जा रहा था जैसे ही हम PWD गाजियाबाद ऑफिस के पास पहुंचे रात का समय था, मैंने अपने भाई मोनू को आकाश नगर सड़क के किनारे गढ्ढे में गिराकर पत्थर उठाकर सिर व सीने पर कई वार किये जिससे उसकी मृत्यु हो गई फिर मैंने एक भारी सा पत्थर उसके पेट व सीने पर रखकर भाग आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सुखवीर पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम जन्डेल थाना मूढा पाण्डे जनपद मुरादाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम/सर्विलांस टीम ग्रामीण जोन कमि0 गाजियाबाद।

स्वाट टीम, सर्विलांस टीम ट्रांस हिंडन जोन एवं थाना साहिबाबाद पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में वाहन चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 05 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- वाहन चोरी की घटनाओं के दृष्टिगत पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन के निर्देशन में वाहन चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में स्वाट टीम, सर्विलांस टीम ट्रांस हिंडन जोन एवं थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से लगातार सुरागरसी, तकनीकी विश्लेषण एवं संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 30.07.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम, स्वाट टीम एवं सर्विलांस टीम ट्रांस हिंडन जोन संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग, वांछित अपराधियों की तलाश एवं अपराध की रोकथाम हेतु थाना क्षेत्र में भ्रमणशील थी। चेकिंग के दौरान नागद्वार चौराहे से सिटी फॉरेस्ट की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिए, जो पुलिस टीम को देखकर घबराकर रास्ता बदलकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए दोनों व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों से मोटरसाइकिल के संबंध में कागजात मांगे गए, किन्तु वे कोई संतोषजनक उत्तर अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। सघन पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उक्त मोटरसाइकिल उन्होंने कुछ दिन पूर्व थाना बिसरख, जनपद गौतमबुद्ध नगर क्षेत्र के गौर सिटी से चोरी की थी। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा उनके बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जहाँ से चोरी की 04 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद की गईं गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना साहिबाबाद पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि वे भीड़-भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खड़े दोपहिया वाहनों की रेकी कर मौका मिलते ही चोरी कर लेते हैं। चोरी किए गए वाहनों को कुछ समय तक छिपाकर रखते हैं तथा बाद में कबाड़ियों अथवा जरूरतमंद व्यक्तियों को औने-पौने दामों में बेचकर धन अर्जित करते हैं। प्राप्त धनराशि आपस में बांटकर अपने शौक पूरे करते हैं। बरामद 05 मोटरसाइकिलें उन्होंने अलग-अलग स्थानों से चोरी की थीं, जिन्हें बेचने की फिराक में थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सूरज पुत्र अन्नू, हाल पता- महेश पब्लिक स्कूल के पास, तिगरी गोल चक्कर, थाना बिसरख, जनपद गौतमबुद्ध नगर, मूल पता- होलंबी कलां, मेट्रो विहार फेस-2, थाना नरेला, दिल्ली, उम्र करीब 27 वर्ष।

2. सचिन पुत्र सुल्तान सिंह, मूल पता- ग्राम सासनी, थाना कोतवाली, जनपद अलीगढ़, हाल पता- महेश पब्लिक स्कूल के पास, तिगरी गोल चक्कर, थाना बिसरख, जनपद गौतमबुद्ध नगर, उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. चोरी की 02 मोटरसाइकिल पैशन प्रो।
2. चोरी की 02 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस।
3. चोरी की 01 मोटरसाइकिल हीरो एक्सट्रीम।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है व थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. थाना साहिबाबाद पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. स्वाट टीम, ट्रांस हिंडन जोन, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
3. सर्विलांस टीम, ट्रांस हिंडन जोन, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा ।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक व0उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना सिहानीगेट द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री रवि शर्मा द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना सिहानीगेट, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 302 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम में अभियुक्त दिनेश दिवाकर पुत्र राजेन्द्र दिवाकर निवासी म0न0 127 गली न0-03 राकेश मार्ग थाना सिहानीगेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0- 07, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 31.07.2026 को धारा- 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 25 आयुध अधि0 में 02 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 27 आयुध अधि0 में 03 वर्ष का कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

अभियुक्त द्वारा वादी के पिता की गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 24.08.2019 को थाना सिहानीगेट पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

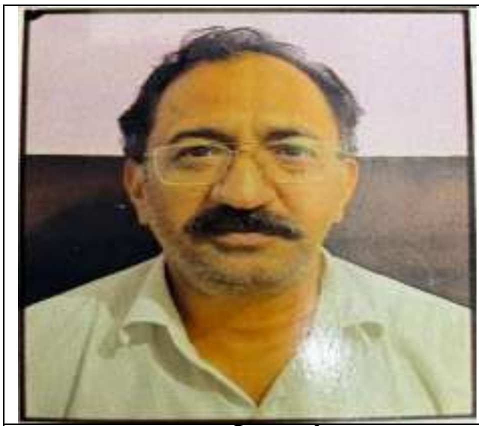		
श्री रवि शर्मा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	**मु0आ0 सतकुमार** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 अजय कुमार** पैरोकार थाना सिहानीगेट